न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 367 सन 2018

अनवान :–

1. सुनील कुमार पुत्र रतनसिह जाति राजपूत निवासी मेधाना तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. रतनसिह पुत्र मंगेजसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर ।
2. सुभाषसिह पुत्र रतनसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर।
3. सुरेशसिह पुत्र रतनसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर।
4. बिरमा कवंर पत्नी अजीतसिह जाति राजपुत साकिन मेधाना तहसील नोहर।
5. दिव्या कवंर 6 विरेन्द्रसिह पुत्र/पुत्रीया अजीतसिह जरिये नाबालिगान संरक्षिका माता बिरमा कंवर पत्नि अजीतसिह जाति राजपूत साकिन मेधाना तहसील नोहर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 31/2/18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 186/204 के खसरा न0 313/2 की 12.7480हैक , 322 की 8.5240हैक , खसरा न0 448 की 18.8680हैक कुल 40.1400हैक भूमि स्थित है जिसमें वादी के दादा मंगेजसिह सयुक्त तौर से 780हिस्सा के खातेदार काश्तकार है वादी के दादा मंगेजसिह के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उनके पुत्रों पर औद हुई और वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्से में रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 186/204 की 39.5408है सयुक्त भूमि में से 380 हिस्सा भूमि आई है है वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम भूमि विरास्तन से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा मंग्रेजसिह के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है अर्थात विरास्तन से वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 का बराबर का हक हिस्सा है जिसकी धोषणा न्यायालय से करवा सकते है तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने भी निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 के हक हिस्सा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मेधाना के खाता संख्या 186/204 की 39.5408हैक मे सयुक्त तौर से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 390 हिस्सा दर्ज है में वादी अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 1 अकेला 1/5 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 2 अकेला 1/5 हिस्साा , प्रतिवादी संख्या 3 अकेला 1/5 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 तीनो बहिब 1/5 हिस्ससा के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 5।12।18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Web Copy - Not Official